

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
जिला स्थापना शाखा
आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11(5) दिनांक-06.06.2016 द्वारा मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40, विपत्र कोड-एन2029001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु 1301-कार्यालय व्यय मद में प्राप्त कुल 2462615.00 (चौबीस लाख बासठ हजार छः सौ पन्द्रह) रुपये मात्र का उपाबंटन निम्न विवरणी के अनुरूप किया जाता है:-

क्र०	जन शिकायत/प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का नाम	पंचायतों की संख्या	उपावटित राशि
1	2	3	4
1	जिला नजारत शाखा	-	35390.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी।	-	10000.00
3	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना (ढाका)।	-	10000.00
4	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल।	-	10000.00
5	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया।	-	10000.00
6	अनुमंडल पदाधिकारी, अरराज।	-	10000.00
7	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल।	-	10000.00
8	अंचलाधिकारी, पीपराकोठी	06	35070.00
9	अंचलाधिकारी, बनकटवा	10	58450.00
10	अंचलाधिकारी, तेतरिया	09	52605.00
11	अंचलाधिकारी, मोतिहारी	20	116900.00
12	अंचलाधिकारी, बंजरिया	13	75985.00
13	अंचलाधिकारी, सुगौली	16	93520.00
14	अंचलाधिकारी, रामगढ़वा	16	93520.00
15	अंचलाधिकारी, रक्सौल	13	75985.00
16	अंचलाधिकारी, आदापुर	17	99365.00
17	अंचलाधिकारी, छौड़ादानो	15	87675.00
18	अंचलाधिकारी, घोड़ासहन	14	81830.00
19	अंचलाधिकारी, ढाका	23	134435.00
20	अंचलाधिकारी, चिरैया	23	134435.00
21	अंचलाधिकारी, पताही	15	87675.00
22	अंचलाधिकारी, मधुबन	13	75985.00
23	अंचलाधिकारी, फेनहारा	06	35070.00
24	अंचलाधिकारी, पकड़ीदयाल	09	52605.00
25	अंचलाधिकारी, मेहसी	13	75985.00
26	अंचलाधिकारी, कल्याणपुर	24	140280.00
27	अंचलाधिकारी, चकिया	18	105210.00
28	अंचलाधिकारी, कोटवा	16	93520.00
29	अंचलाधिकारी, केसरिया	17	99365.00
30	अंचलाधिकारी, अरराज	14	81830.00
31	अंचलाधिकारी, पहाड़पुर	16	93520.00

32	अंचलाधिकारी, हरसिद्धि	19	111055.00
33	अंचलाधिकारी, तुरकौलिया	16	93520.00
34	अंचलाधिकारी, संग्रामपुर	14	81830.00
कुल:-		405	2462615.00

1. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में की जायेगी एवं राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला के कार्यालय हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।
2. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषभार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेजी जाय।
3. राशि का उपाबंधन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

sd
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक...660.../स्था०, मोतिहारी, दिनांक...20/8/16.....
प्रतिलिपि:-सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला नजारत उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/16
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।